न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)राज0
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 19 / 2018

1– राजू देवी पुत्री स्व0 किशनाराम माता स्व0 श्रीमति जेठी जाति जाट निवासी डिकावा हाल बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर

..............अपीलान्ट

बनाम

1–श्रीमति सुखी देवी पत्नी स्व0 गंगाराम जाति जाट निवासी डिकावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

2–स्व0 जड़ाव देवी पिता स्व0 किशनाराम माता स्व0 जेठी के वारिस–1) झूमरराम पुत्र दूलाराम माता स्व0 जड़ाव देवी निवासी विजयपुरा तहसील मकराना जिला नागौर राज।

3–तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

...........रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

2–श्री हरफूल राव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

3–श्री केशव ओझा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।

अपील विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 109 दिनांक 19.02.1988 द्वारा नायब तहसीलदार / तहसीलदार डीडवाना को अपास्त करने बाबत।

निर्णय

दिनांक:03.01.2022

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार डीडवाना के नामान्तरकरण संख्या 109 दिनांक 19.02. 1988 ग्राम डीकावा तहसील डीडवाना के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना

{2}–अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि जेठी देवी की ग्राम डिकावा की सरहद में खसरा नम्बर 270 ,275 में 1/2 की खातेदारी अपीलान्ट की माता श्रीमति जैठी पत्नी स्व0 किशनाराम की रही है। जेठी देवी पत्नी किशनाराम की मृत्यु वर्ष 1988 के करीब हो गई थी। जिसके उपरान्त उक्त कृषि भूमियों का म्यूटेशन उसके एक पुत्र गंगाराम व दो पुत्रियॉ जडाव देवी व राजू देवी के नाम भरा जाना चाहिए था, परन्तु नायब तहसीलदार डीडवाना ने दोनो पुत्रियों का नाम छोड़कर एक पुत्र के नाम ही म्यूटेशन संख्या 109 दिनांक 19.02.1988 भरा गया। इस म्यूटेशन के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1)– यह है कि माता जेठी देवी का देहान्त निर्वसियत हो गया, जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जेठी देवी के पुत्र व पुत्रियों का समान हक हिस्सा अधिकार उक्त कृषि भूमियों में बनता है तथा कानूनन म्यूटेशन कार्यवाही भी जेठी देवी के पुत्र व पुत्रियों तीनों के पक्ष में होनी चाहिए थी। किन्तु अकेले पुत्र गंगाराम ने राजस्व कर्मचारियों से मैन्यूपलेशन करके अपीलाधीन म्यूटेशन अपने नाम करवा लिया। जिसकी जानकारी हम बहिनों को नहीं होने दी।

{3}(2)– यह है कि हाल ही में गंगाराम का देहावसान दिनांक 28.062017 को हो गया। जिसके पीछे एक मात्र उसकी पत्नी सुखी देवी है। जो विरासत के तौर पर अपनी अकेले के नाम म्यूटेशन कराने की फिराक में है। वस्तुतः गंगाराम के अकेले के नाम अपीलाधिन म्यूटेशन पूर्णतया अवैध, अविधिक एवम गलत तौर पर भरा गया है। जो प्रथम दृष्टया ही खरिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(3)– यह है कि खातेदारी रिकोर्ड में आज भी गंगाराम के नाम म्यूटेशन व खातेदारी है, जिसको सुखी देवी रिपरजेन्ट कर रही है। अपीलाधीन मूल म्यूटेशन निरस्त किये जाने योग्य है और उसके स्थान पर सही एवम विधिक तौर पर म्यूटेशन गंगाराम की पत्नी श्रीमति सुखी देवी व मूझ अपीलान्ट राजू देवी और बहिन जड़ाव देवी के एक मात्र वारिस झुमरराम के नाम भरा जाना न्यायोचित एवम विधि संगत हैं।

{3}(4)–यह है कि अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी भाई गंगाराम की मृत्यु हो जाने के बाद पुनः म्यटेशन भरे जाने की स्थिति उत्पन्न हुई, तब सुखी देवी द्वारा एलानियॉ कहने पर की खेतों में तुम्हारा नाम नहीं है, तुम क्या मांगती हो। मेरे पति की अकेले की जमीन है, उसको अकेले का ही नाम है। उसके स्थान पर मैं अकेले ही म्यूटेशन दर्ज कराउंगी। तब अपीलान्ट पक्ष द्वारा जॉच पड़ताल की गई तथा नकल दिनांक 08.03.2018 को मिली तथा सुखी देवी को समझाईश की, किन्तु उसने बैठ कर हल निकालेने का आश्वासन दिया। किन्तु उसके बावजूद भी वह सही एवम उचित बातचीत पर राजी नहीं हुई। जिससे यह अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह नो माह का समय परिवार का मामला है समझ कर मिल बैठ कर हल निकालने का आश्वासन के कारण हुई, जो देरी माफी योग्य है तथा इस हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक़्ट का प्रार्थना पत्र भी पृथक से प्रस्तुत है।

अतः अपीलार्थी की ओर से अपील पेश कर न्यायालय हाजा से विन्रमतापूर्वक प्रार्थना की है कि अपीलार्थी की म्यूटेशन संख्या 109 दिनांक 19.02.1988 को अपास्त फरमावें तथा प्रकरण तहसीलदार, डीडवाना को विधि अनुसार पुनः म्यूटेशन दर्ज किये जाने का वांछित आदेश जारी करावें।

{4}– अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 12.03.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। न्यायालय हाजा ने इसे दिनांक 12.03.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अधिवक्ता श्री केशव ओझा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अपना

जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

वकालतनामा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से श्री हरफूल राव ने अपना वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जो दिनांक 26.02.2021 को शामिल मिसल की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से जवाब पेश किया गया जो निम्न प्रकार है :–

1. यह है कि अपील के पद सं0 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, सही एवम स्वीकार हैं श्रीमति जैठी की मृत्यु के उपरोन्त उसके पुत्र गंगाराम व पुत्रियॉ जड़ाव देवी व राजू देवी का नाम भी विरासत में म्यूटेशन के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये था।

11. यह है कि अपील के पद सं0 02 वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। जेठी देवी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र गंगाराम अकेले का नाम म्यूटेशन गलत भरा गया है, वस्तुतः उसकी दोनों पुत्रियों राजू देवी व जड़ाव देवी का नाम भी म्यूटेशन में भरा जाना कानूनी रूप से आवश्यक था।

111. यह है कि अपील के पद सं03 सही होने से स्वीकार है। गंगाराम अकेले के नाम म्यूटेशन पूर्णतया गलत अवैध व अविधिक रूप से भरा गया था, जो खारिज किये जाने योग्य है।

iv. यह है कि अपील के पद सं0 04 के संबंध में निवेदन इस प्रकार है कि जैठी देवी की मृत्यू के उपरान्त उसके पुत्र गंगाराम ने दोनों बहिनों राजू देवी व जड़ाव को छुपाते हुये गलत रूप से अपने अकेले के नाम से करवा लिया था, उसके पश्चात गंगाराम की मृत्यु उपरान्त म्यूटेशन में अकेले उसकी पत्नी सुखी के नाम से गलत दर्ज हो गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। जेठी देवी किशनाराम की पुत्री है तथा जवाबदेहिन्दा झुमर राम, जड़ाव देवी का एक मात्र पुत्र वारिस है, जिससे उक्त म्यूटेशन में झुमरराम का नाम भरा जाना न्यायिक एवम विधि संगत है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

v. यह है कि अपील के पद सं0 05 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। अपीलान्ट जवाबदेहिन्दा ने सुखी देवी को खुब समझाया, लेकिन वह नहीं मानी।

vi. यह है कि जवाबदेहिन्दा की माता स्व0 जड़ाव देवी किशनाराम की पुत्री है, जिससे जेठी देवी की मृत्यु के पश्चात जवाबदेहिन्दा झुमरराम के नाम से व राजुदेवी के नाम से भी म्यूटेशन भरा जाना न्याय संगत था, परन्तु गंगाराम ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर जेठी देवी की मृत्यु के पश्चात अकेले अपने नाम से म्यूटेशन भरवा लिया। जो कानूनी रूप से विधि विरूद्ध है। जिससे उक्त म्यूटेशन खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया है कि म्यूटेशन सं0 109 दिनांक 19.02.1988 को अपास्त किये जाने के आदेश सादर फरमावे।

{5} – अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं0 109 जैर अपील भरने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की और पुत्रियो का नाम छोड़ कर बिना जॉच किये नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया। मृतक खातेदार माता स्व. जेठी देवी के विधिक वारिसान स्व0 गंगाराम पुत्र स्व0 किशनाराम, जड़ाव देवी पुत्री स्व0 किशना राम तथा राजूदेवी पुत्री स्व0 किशनाराम के नाम नामान्तकरण में अंकित नहीं किया, इसके संबंध में कुछ भी नहीं लिखा कि विधिक वारिसान का नाम नामान्तकरण में क्यों नहीं इन्द्राज किया गया। जिस कारण से भी नामान्तकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वादग्रस्त नामान्तकरण स्वीकृत करते वक्त जेठी देवी पत्नी स्व0 किशनाराम के विधिक वारिसान उनकी पुत्रियों का नाम नामान्तकरण में दर्ज नहीं किया जाकर भारी कानूनी एवम वाक्याती भूल की है जिससे अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गयी है जो खारिज होने योग्य है क्योंकि यह अपील करीब 30 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है एवं पूर्व में पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण नहीं भरा जाकर केवल पुत्र के नाम ही नामान्तरकरण भरा जाता था, जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण सही भरा गया है अतः अपीलान्ट अपील खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी अपनी बहस में निवेदन किया कि स्व0 जेठी देवी के दो पुत्रिया राजूदेवी एवं सुखी देवी एवं एक पुत्र गंगाराम है जो मृतक खातेदार के विधिक वारिसान है इसमें दोनों बहनो के नाम छोड़कर केवल एक पुत्र गंगाराम के नाम ही नामान्तरण भरा गया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

{6} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी जानकारी उसको नामान्तरकरण की नकल दिनांक 08.03.2018 को लेने से हुई तथा अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील दिनांक 12.03.18 को पेश की गई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारियों को जो अनुसूचित के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है को न्यागत होगी। पुत्रियां मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट जो अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया है को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है क्योंकि अपीलान्ट प्रथम श्रेणी की वारिस है जिसकी पीठ पीछे बिना सुनवाई के स्वीकृत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

नामान्तरकरण में मियाद का कोई महत्व नहीं है। ऐसे एक पक्षीय आदेश में मियाद तात्विक नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

{7}– पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम डिकावा तहसील डीडवाना के नामान्तरकरण सं0 109 जो नायब तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 19.02.1988 को स्वीकृत किया गया है, में मृतक खातेदार जेठीदेवी की विरासत के रूप में उनके एक मात्र पुत्र के नाम अंकन किया गया है। नामान्तरकरण भरते समय पटवारी हल्का ने दोनों पुत्रिया का नाम छोड़ कर उसके एक पुत्र गंगाराम पुत्र किशना राम के नाम ही नामान्तकरण भर कर पेश करने पर नायब तहसीलदार डीडवाना ने स्वीकृत किया है जबकि उनकी जायन्दा दो पुत्रियॉ व एक पुत्र होना रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया है जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 01 का पति एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 02 हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार किसी अभिधारी की निर्वसीयत मृत्यु हो जाये तो उसकी जोत में उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसमें वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था, न्यागत होगा । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत फौत होने वाले पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूचि के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं को न्यागत होगी। वर्ग 1 के वारिस पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, उसकी विधवा तथा अन्य दर्शाये गये हैं। अर्थात पुत्रियां मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है और मनमाने ढंग से उनको उनके पिता की भूमि से वंचित नही किया जा सकता है एवं नामान्तरकरण भरने में उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार जेठीदेवी की मृत्यु उपरान्त जो नामान्तरकरण सं0 109 दिनांक 19.02.1988 ग्राम डिकावा तहसील डीडवाना स्वीकृत किया गया है उसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

1956 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। अतः उक्त नामान्तरकरण सं0 109 दिनांक 19.03.1988 ग्राम डिकावा तहसील डीडवाना जिला नागौर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है

:::: आदेश ::::

अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम डिकावा तहसील डीडवाना का नामान्तरकरण सं0 109 दिनांक 19.03.1988 निरस्त किया जाता है एवम तहसीलदार डीडवाना को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दानों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मृतक खातेदार के वारिसान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)